न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 210/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बंशीधर पुत्र बख्तावरमल 2 निर्मलादेवी पत्नी भूरचन्द 3 दुर्गादेवी पत्नी भंवरलाल जाति सोनी निवासी बाडमेर 4 नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी जसोतोणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 मिश्रा पुत्र जवाराम जाति माली निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री रामस्वरूप शर्मा वकील प्रार्थीगण।
2 श्री राजेन्द्र शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 01।

आदेश

दिनांक 27/09/21

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर से अप्रार्थी संख्या 01 मिश्रा की खातेदारी में से खेत खसरा संख्या 361/1 रकबा 18.13 बीघा का खेत आया हुआ है, जिसका खेत में नामान्तकरण संख्या 379 से अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में अंकन हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खातेदारी के खेत में से 07.10 बीघा का पंजीबद्ध बेचान प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 379 से हो गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पंजीबद्ध बेचान संख्या 437/99 में बेचान किये गये भू–भाग में निम्न पड़ौस दर्शाये जो निम्नानुसार है :–

पूर्व :– खसरा संख्या 361/2 का सेढा

पश्चिम :– मका माली का खेत

उतर :– इसी खेत की बकाया जमीन

दक्षिण :– खसरा संख्या 361/2 की जमीन

उक्त भूमि में से प्रार्थी संख्या 01 व 02 ने खरीद सुदा भूमि 07.10 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त कर खरीदसुदा भूमि में से आंशिक भाग प्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्ष में कर सहखातेदार के रूप में सम्मलित कर दिया। वर्तमान में प्रार्थीगण के पूर्वी सेढे की तरमीम लार्ठन पटवारी के नक्शे में गलत दर्शाई गई है, जिसे शुद्ध किये जाने का प्रार्थीगण ने निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अनुसार तरमीम की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपति नही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ./2021/4905 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि बाडमेर मगरा के खसरा संख्या 379 में मिश्रा पुत्र ज्वारा द्वारा खसरा संख्या 361/1 वर्तमान खसरा संख्या 2462/361 रकबा 18.13 बीघा में से बंशीधर पुत्र बख्तावरमल, निर्मलादेवी पत्नी भूरचन्द खसरा संख्या 361/1/1 वर्तमान खसरा संख्या 2463/361 रकबा 07.10 बीघा का बेचान किया था। नामान्तकरण संख्या 379 के प्रति परत के पीछे अक्ष बनाया गया। पूर्व दिशा में खसरा संख्या 361/2 के माठ तक नही डाली गई थी, जबकि बेचान दस्तावेज में रकबा 07.10 बीघा का बेचान किया गया था जिसके सेढा पाडौसी पूर्व दिशा में खेत खसरा संख्या 361/2 का सेढा, पश्चिम दिशा में मका माली का खेत का सेढा, उतर दिशा में इसी खेत की शेष भूमि, दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 361/2 की भूमि बेचान

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

दस्तावेज की प्रति संलग्न है। ग्राम बाडमेर मगरा के नामान्तकरण संख्या 518 में बंशीधर पुत्र बख्तावरमल व निर्मलादेवी पत्नी भूरचन्द द्वारा आंशिक बेचान दुर्गादेवी पत्नी भंवरलाल सहखातेदार के साथ में सम्मिलित कर लिया तथा नामान्तकरण संख्या 2501 व 2504 में निर्मलादेवी पत्नी भूरचन्द द्वारा आंशिक बेचान नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम सहखातेदार के रूप में सम्मिलित कर लिया। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थित में खसरा संख्या 2462/361 व 2463/361 का मौका देखा गया। मौके पर रकबा 7. 10 बीघा का बेचान किया गया तथा बेचान दस्तावेज में सेढा पाडौसी बताया गया उसके अनुसार है। खसरा संख्या 2462/361 रकबा 11.03 बीघा में मिश्रा पुत्र जवारा का कब्जा काश्त अनुसार व मौके के अनुसार अपनी जगह काबिज है तथा खसरा संख्या 2463 रकबा 07.10 बीघा बंशीधर पुत्र बख्तावरमल, निर्मलादेवी पत्नी भूरचन्द, दुर्गादेवी पत्नी भंवरलाल जाति सोनी सा. बाडमेर, नरेन्द्र कुमार हरखाराम जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी भाडखा का कब्जा काश्त अनुसार व मौके अनुसार अपनी जगह काबिज है तथा इसी अनुसार लठ्ठा ट्रेस नक्शे में तरमीम शुद्ध भी करवाना चाहते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "बी" अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर ग्राम बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 361/1 रकबा 18.13 बीघा में से 07.10 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 2463/361 रकबा 07.10 बीघा तथा खसरा संख्या 2462/361 रकबा 11.03 बीघा की वर्तमान तरमीम निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2463/361 रकबा 07.10 बीघा तथा खसरा संख्या 2462/361 रकबा 11.03 बीघा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रतिवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' में दर्शाये बरंग हरा तथा गुलाबी अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' आदेश का अभिन्न अंग होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27.8.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर